



बिहार BIHAR

10/0
30/6/22

10/01/11/11/11

समिर आलम रवानपुर गाते रवानपुर

AP 503272

Sanjay Kumar Singh
Senior Treasury Officer
District Treasury, Samastipur

Supplementary Agreement

of Agn No. 51 MBO/20-21

New Maintenance Policy-2018

जय शंकर
स्टाम
किशनपुर, समस्तीपुर
ला० नं०-1/9

Supplementary Agreement - 65 (SBD) 2022-23

This supplementary agreement made theday ofbetween Executive Engineer R.W.D Work Div.-Samastipur name and Address of Employer [hereinafter] called " The (Name and Address of Contractor) hereinafter called " The Contractor" of the other part]

Samir Alam. Address:- Vill+Po.-Khanpur, Distt- Samastipur. Whereas the Employer is desirous that the Contractor Execute The Work Contruction of Road. Vide Revised BOQ letter no.- 198 anu Patna Dt.-06.06.2022 by CE-3.

MR-N/19-20 Samastipur/17 (T02 to Hariyabadchak)

(Name and identification number of contract) (hereinafter called "the works") and the employer has accepatated the bid by the remedying of any defects there in, at a cost of Supplementary Amount 3528,807/- (Thirty five lakh twenty eight thousand Eight hundred seven only 21,99,539 (Twenty one lakh ninty nine thousand five hundred thirty nine) He is 12.79% below of Rate. The revised cost of total agreement is Rs. 1,15,39,707.00 (One crore fifteen lakh thirty nine thousand seven hundred seven).

Samir Alam

Sr. Divisional Accounts Officer
R.W.D. Works Division
Samastipur

EXECUTIVE Engineer
R. W. D. Works Division
Samastipur
5/7/22

ITEM OF WORK	UNIT	QUANTITY	Rate	Amount
Painting on Parapet Wall (Black & White Strips) Painting two coats including primer coat after filling the surface with synthetic enamel paint in all shades on new, plastered / concrete surfaces as per drawing and Technical	Sqm	20.64	97.19	2,008.00
COST OF CONSTRUCTION				Rs. 8748547.81
ADD 12% GST				Rs. 1049825.74
ADD 1% LABOUR CESS				Rs. 87485.48
SEIGNIORAGE FEE				Rs. 76096.36
TOTAL COST OF CONSTRUCTION (A)				Rs. 9961955.38
5 Year Routine Maintenance	Quarterly	20.000	1,44,434.90	28,88,698.00
ADD 12% GST				Rs. 346643.76
ADD 1% LABOUR CESS				Rs. 28886.98
SEIGNIORAGE FEE				Rs. 5908.42
TOTAL COST OF MAINTENANCE (B)				Rs. 3270137.16
TOTAL COST OF PROJECT (A+B)				Rs. 13232092.55

115.40 Lakh Billed 21/6/2022 Excluding
 12.79% ASPs Agreement 1987 to 1990
 Total Cost of Revised Estimate upto Revised Rs 21,99,539/-
 Excluding Billed 12.79%
 B.O.Q APPROVED For

Construction of
 Rs. 100 Lakh 500 Thousand 00 Hundred 00 Paise only

Seventy Four Thousand One Hundred Thirty seven only

James Ham

Executive Engineer
C. W. D. Works Division
Amritsar
05/7/22

मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पटना दिनांक:-

पत्रांक:- II/मु0अ0-3,त0स्वी0-07-75/22

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, समस्तीपुर।

विषय:- शीर्ष नई अनुसूचना नीति 2018 (3054) योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर के अधीन प्राप्त
01 अदद पथों के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-680 अनु0 दिनांक-30.05.2022 एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार का
पत्रांक-207 अनु0 दिनांक-17.01.2022

महाशय,
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर के अधीन स्वीकृत पथ के
प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर
लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न है:-

Sl. No	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	Department Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintenance Cost	Revised T.S. Amount (in Lakh) (At. Agmt. Rate)
1.	Samastipur	T02 To Haridabadchak	3.40	1015/03.03.20	112.337	115.40

- निर्माण कार्य 3054 योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
- स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लें यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरूपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
- अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।
- अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, समस्तीपुर ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।

Lami Alam

Sr. Divisional Accounts Officer
R.W.D. Works Division
Samastipur

Executive Engineer,
R.W.D. Works Division
Samastipur
5-7-22

दिनांक- 07.01.2022

को सम्पन्न ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा स्वीकृत योजना के मद में वृद्धि/कमी के प्रस्ताव पर विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति

(i). श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग

(ii). श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख।

(iii). श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता-3

(iv). श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार

2. सचिका सं०-

3. विषय एवं प्रस्ताव-

मु०अ०-4(मु०) 3054-04-240/2021

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, समस्तीपुर के क्षेत्राधीन शीर्ष - 3054 अंतर्गत खानपुर प्रखण्ड के अधीन T02 To Haridabadchak पथ मरम्मत कार्य में मद की मात्रा में विचलन का अनुमोदन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

4. समिति द्वारा की गई समीक्षा -

(i) इस योजना के लिए विभागीय पत्रांक-मु०अ०-4 (मु०) 3054 -04 -127 / 2019-1015 दिनांक-03.03.2020 द्वारा Rs 112.33700 लाख (Const. Amt.- Rs. 70.67000 लाख + 5 Yrs Maint. Amount-Rs. 34.60000+ Emergent Repair Amount- 7.06700) लाख की प्रदत्त है। (विपन्न कोड- 37-3054-04-105-0001)

(ii) मुख्य अभियंता-3 का पत्रांक-7629 अनु० दिनांक-01.11.2021 से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के तुलनात्मक विवरणी से स्पष्ट है की कार्य के कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि(विचलन) 20% के अधीन है। उक्त योजना में मदवार विचलन निम्नवत् है:-

Sl No	Name Of Scheme	Length (KM)	Item	Sanctioned Quantity	Revised Quantity	Percentage increase/decrease	Remark
1	T02 To Haridabadchak	3.400	Prime Coat	1489.510	1295.010	-13.06	
2			MSS	1911.610	1358.460	-29.09	
3			Tack Coat	14789.110	10824.210	-26.81	
4			SDBC	321.940	236.724	-26.47	
5			PCC	0.000	545.400	100.00	NEW ITEM
6			Providing and laying of hot applied thermoplastic compound at edge of BT Portion	680.000	500.000	-26.47	
7			Providing and laying of hot applied thermoplastic compound at edge of CC Portion	0.000	180.000	100.00	NEW ITEM

पुनरीक्षित प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त पुनरीक्षित पथ के प्राक्कलन में Prime Coat, MSS, Tack Coat, SDBC, PCC, Providing and laying of hot applied thermoplastic compound at edge of BT Portion, Providing and laying of hot applied thermoplastic compound at edge of CC Portion इत्यादि की मात्रा में विचलन होने के कारण पथ के प्राक्कलन को पुनरीक्षित किया जा रहा है।

CH

(iii) पुनरीक्षित तकनीकी की राशि Const Amt.- Rs. 99.62000 लाख + 5Yrs Maintenance Amount Rs. 32.70000 = Total 132.32000 लाख का एकरारनामित दर (-12.79 प्रतिशत कम) पर 115.40000 लाख होता है। उक्त पथ में Emergent Repair Amount 7.07000 है। वर्तमान में योजना की कुल राशि 122.47000 लाख है, जो पूर्व के प्रशासनिक स्वीकृति राशि से 9.02 प्रतिशत अधिक है।

(iv) वित्त विभाग के संकल्प सं०-6439 दिनांक-28.08.2018 के अनुसार " किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जाएगा"।

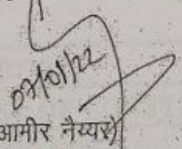
(v) पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०-2106 (S) दिनांक-07.03.2017 के अनुसार मदों में 20 प्रतिशत से अधिक विचलन होने अथवा नया मद जोड़े जाने पर विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन आवश्यक होगी।

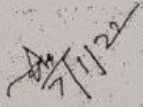
5. प्रस्ताव

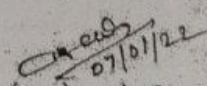
तदनुसार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, समस्तीपुर के क्षेत्राधीन शीर्ष - 3054 अंतर्गत खानपुर प्रखण्ड के अधीन T02 To Haridabadchak पथ (लम्बाई- 3.400 कि०मी०) जिसका प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक- मु० अ० - 4 (मु०) 3054- 04 - 127/2019-1015, दिनांक- 03.03.2020 द्वारा Rs 112.33700 लाख (Const. Amt.- Rs. 70.67000 लाख + 5 Yrs Maint. Amount-Rs. 34.60000+ Emergent Repair Amount- 7.06700) लाख की दी गयी थी। इस कार्य में उपरोक्त कंडिका क्रमांक - (ii) में वर्णित मदों के विचलन उपरोक्त कंडिका- (iv) एवं (v) के आलोक में सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।

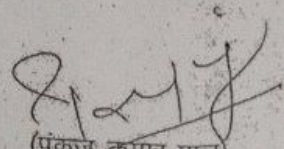
6. निर्णय

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त लिये गए निर्णय के आलोक में कंडिका-5 में वर्णित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।


(आमीर नैय्यर)
आन्तरिक वित्तीय सहायकार
ग्रामीण कार्य विभाग


(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग


(कमलेश चौधरी)
मुख्य अभियंता-3
ग्रामीण कार्य विभाग


(पंकज कुमार पाल)
सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग